

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 1978/भाद्र 29, 1900
No. 187] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 1978/BHADRA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 68-आई० टी० सी० (पी०एन०)/78

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय --स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना

नि० सं० 12/4/78/ई०पी०सी० --उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक
सूचना सं० 59--आई० टी० सी० (पी०एन०)/78 दिनांक 17 अगस्त, 1978 को और ध्यान
आकृष्ट किया जाता है।

2 उल्लिखित सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे --

क्रम०	सं	संशोधन
1	2	3
1.	पैरा 6	वर्तमान पैरा को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :-- "यह योजना उन आदेशों के मद्दे प्रभावी किए गए निर्वाहों के

1	2	3
		लिए सीमित जो या तो अपरिवर्तनीय साख-पत्र के आधार पर खोले गए हैं अथवा माल सुपुर्वगी के समय नकद भुगतान के आधार पर । दस्तावेजों का आदान-प्रदान केवल प्राधिकृत विनिमय व्यापारियों के माध्यम से किए जाने चाहिए । नियत आदेश समुद्रपार के एक ही खरीदार से संबंधित होना चाहिए चाहे इसमें एक से अधिक मद का निर्यात क्यों न शामिल हो ।
2.	पैरा 12	निम्नलिखित को अन्त में जोड़ा जाएगा :— “(यदि स्वर्ण की शुद्धता सभी मदों अथवा आयात किए जाने वाली कुछ मदों में एक सी है, तो नियतक मदवार ब्यौरे देने के बजाए स्वर्ण का कुल वजन और ऐसी शुद्धता वाली मदों का कुल मूल्य दे सकता है) ।”

का० वे० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 68-ITC (PN)/78

New Delhi, the 20th September, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Gold Jewellery Export Replenishment Scheme.

File No. 12/4/78/EPC :—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 59-ITC (PN)/78, dated the 17th August, 1978, on the above subject.

2. The following amendments shall be made in the Appendix to the aforesaid Public Notice :—

S. No.	Reference	Amendment
1.	Para 6	The existing para shall be amended to read as under :— “The scheme will be limited to exports effected against such orders as are backed by either an irrevocable letter of credit or payment on cash-on-delivery basis. The documents should be negotiated through authorised exchange dealers only. The export order should relate to a single buyer overseas, although it may cover more than one item of export.”
2.	Para 12	The following shall be added at the end:— “(If the purity of gold used is the same in respect of all or some of the items to be exported, the exporter may give the total weight of gold and the total value of such items as are of the same purity, instead of giving their details itemwise).”

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.